



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63061

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2939/2026

चंद्रभान सिंह गौर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार सिंह, प्रभाकांत सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकांत सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 24/2026, धारा 108, 288, 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना- कुरारा, जिला हमीरपुर के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
 - (i) एफ.आई.आर. दो दिनों के विलंब से दर्ज की गई है।
 - (ii) आवेदक और उसके पुत्र को एफ.आई.आर. में तब भी नामित किया गया है जब उनका मृतक के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने मृतक की संपत्ति पर कोई दावा किया था। विवाद मृतक और उसके चाचा के बीच है।
 - (iii) सूचक और मृतक द्वारा आवेदक और सह-अभियुक्त द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण जहर खाने की बात कही गई है, हालांकि, एफ.आई.आर. में ऐसे किसी उत्पीड़न का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
 - (iv) आवेदक ने मृतक के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 153/2016 धारा 452, 307, 504, 506 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत किया गया था और इसी तरह मृतक के भाई द्वारा एक अन्य एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 207/2016 धारा 307 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत किया गया था। दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) प्रस्तुत की गई थी। इस पिछली दुश्मनी के दृष्टिगत, आवेदक को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वर्तमान एफ.आई.आर. में फंसाया गया है।

(v) आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी आयु लगभग 71 वर्ष है और वह पेशे से अधिवक्ता है। उसे इस मामले में झूठा घसीटा गया है।

(vi) सह-अभियुक्त, चंद्रेश सिंह गौर उर्फ छुटका को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2835/2026 में आदेश दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के समान ही है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि आवेदक एक नामित अभियुक्त है। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण सूचक और मृतक ने जहर खा लिया था और ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र केवल सह-अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल किया गया है और आवेदक के संबंध में विवेचना अभी भी लंबित है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. हालांकि आवेदक एफ.आई.आर. में नामित है, लेकिन मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने की कोई विशिष्ट भूमिका आवेदक को नहीं सौंपी गई है। आवेदक ने वर्ष 2016 में मृतक के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। सूचक पक्ष और आवेदक के बीच विवाद प्रतीत होता है। आवेदक का मृतक के चाचा के साथ कोई संबंध नहीं है, जिनके साथ एफ.आई.आर. संपत्ति विवाद का संकेत देती है। आवेदक पूर्व सिद्धांतों नहीं है। विवेचना के दौरान परीक्षित स्वतंत्र गवाहों, नामतः संतोष पुत्र पुतन, राम सजीवन यादव पुत्र मथुरा और श्रीराम पुत्र लल्लू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत अपने बयानों में कहा है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और विवाद सह-अभियुक्त लल्लू और मृतक के बीच था। आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी आयु लगभग 71 वर्ष है और वह पेशे से अधिवक्ता है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त चंद्रेश सिंह गौर उर्फ छुटका को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।
7. उपर्युक्त सभी कारकों, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- चंद्रभान सिंह गौर की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषजनक समान राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
- 10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"